भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 3063

11 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

'kgjh iFk&foØsrkvksa gsrq jk"Vªh; uhfr

3063. श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में 'शहरी पथ–विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति' लागू की जा रही है और यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) ओडिशा, विशेषकर भुवनेश्वर शहर सहित देश में इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए भुवनेश्वर नगर निगम, खुर्दा और जटनी नगर पालिका में टाउन वेंडिंग कमेटी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ओडिशा सहित देश में इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या निगरानी तंत्र है?

<u>उत्तर</u>

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): सरकार ने पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम,2014 लागू किया है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य साथ ही किसी भूमि, परिसर और रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत रेलवे के स्वामित्व और नियंत्रण वाली रेलों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा। अधिनियम में निहित उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः- पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और बेदखली तथा पुनर्स्थापन से संरक्षण, विक्रेता प्रमाण पत्र जारी करना, पथ विक्रेताओं के अधिकार निर्धारित करना; शिकायतों के समाधान हेतु तंत्र, पथ विक्रय योजना तैयार करना, नगर विक्रेता समितियों का गठन करना और पथ विक्रेताओं के शोषण की रोकथाम करना।

(ख): ओडिशा सहति 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित किया गया और ओडिशा सहित 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कीम को अधिसूचित किया गया है। मेघालय का अपना पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 है। ओडिशा द्वारा अधिसूचित नियम और स्कीमें भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) सहित सम्पूर्ण राज्य पर लागू है।

(ग): भुवनेश्वर नगर निगम में, नगर विक्रेता समिति का गठन 28.12.2012 को और पुनर्गठन 07.08.2014 को किया गया। इसके अतिरिक्त, खुर्दा और जतनी नगरपालिकाओं में भी क्रमशः 17.07.2017 और 26.02.2018 को नगर विक्रेता समितियों (टीवीसी) का गठन किया गया।

(घ): चूंकि, अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन हेतु, संबंधित राज्यों द्वारा अधिनियम को कार्यान्वित किया जाना है, राज्य अपने संबंधित नियमों और स्कीमों जो उनकी विधान मण्डल के सभा पटल पर रखे जाते हैं, को अधिसूचित करते हैं।

****